प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 32/2006

सुमन सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश - मैं सहमत हूँ,:

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 09.05.212 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 32/2006

अपीलार्थी सुमन सिंह पिता गोहन सिंह,
उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम- रेंघाई,
पुलिस थाना- बालोद,जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री पी के पटेल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री नीरज कुमार मेहता पैनल अधिवक्ता राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से ।

दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(दिनांक 09.05.2012 को उद्घोषित किया गया।)

द्वारा राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश:

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद जिला- दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 163/2005 में दिनांक 28.12.2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध है।उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी सुमन सिंह को दोषी ठहराया गया है और निम्नलिखित प्रकार से सजा सुनाई गई है:

दोषसिद्धि	दंड
भा.द.सं. की धारा 302 के अंतर्गत	आजीवन कारावास और ₹2000 का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का

	कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है:

दिनांक 27.02.2005 कि सुबह, मृतक राधेश्याम अपने बेटे वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) और दूसरे पुत्र के साथ कृषि कार्य के लिए रेंघानी खार स्थित अपने खेत में गए थे। उन्होंने बोरवेल के पानी से खेत में सब्जियों की सिंचाई की थी । इसके पश्चात, उन्होंने सब्बल से खेत में गड्ढा खोदना शुरू किया। उसी समय, अपीलार्थी बोरवेल के पास आया, अपनी साइकिल वहीँ खड़ी की और अपने दाँत साफ करने लगा। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने मृतक से कहा कि उसकी तबियत खराब है। मृतक ने अपीलार्थी को महावीर के सामने शिश झुकाने और स्वस्थ होने पर बिन्देश्वरी देवी के मंदिर में नारियल तोड़ने का सुझाव दिया।इस पर, अपीलार्थी ने मृतक के हाथ से सब्बल छीनने की कोशिश की । सबल छीनने के पश्चात् अपीलार्थी ने उसी से मृतक पर प्रहार किया। जब अपीलार्थी ने मृतक को सब्बल से 2-3 बार मारा तो मृतक ने अपने दोनों बेटों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा अन्यथा अपीलार्थी उन पर भी आघात करेगा। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) और उसका छोटा भाई खेत की ओर भाग गए और अपीलार्थी अपनी साइकिल के साथ रेंघानी गांव की ओर भाग गया।मृतक और अपीलार्थी की चप्पलें खेत में ही छूट गई। अपीलार्थी की एक किताब भी वहीं गिर गई। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) और उसका छोटा भाई अपनी माँ मेतिनबाई (अभि. सा.- 06) के पास आए और उन्हें घटना के बारे में बताया। मेतिनबाई (अभि. सा.- 06) ने घटना के बारे में दीनाराम (अभि.सा.- 02) और अन्य लोगों को बताया और खेत की ओर चली गई। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीणों को भी बताया कि अपीलार्थी ने सब्बल से मृतक की हत्या की थी। कोटवार घासुदास (अभि.सा.- 01) केशव (अभि.सा.- 09) के साथ पुलिस थाना, बालोद गए और प्राथमिक भी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस थाना बालोद में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-01) दर्ज की गई और मर्ग कायम (प्रदर्श पी 02) भी दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी उप-निरीक्षक डी.डी.वैष्णव (अभि.सा.-12) घटनास्थल पर पहुंचे पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-05) दिया और मृतक के शव का परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-06) तैयार किया। मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालोद भेजा डॉ. आर.के. गोरे (अभि.सा.- 11) ने मृतक के शव का परीक्षण किया और रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दी,जिसमें उन्होंने पाया कि (i) दाहिने कान से 1 इंच ऊपर दाहिने फ्रंटो टेंपोरल क्षेत्र में आगे पीछे की ओर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4″×1″का कटा - फटा हुआ घाव था,(ii) दाहिने पश्चकपाल के पीछे क्षेत्र में हिमोटोमा 1″×1″ इंच का कटा - फटा घाव था,जो चोट संख्या (i) से 1 इंच ऊपर स्थित था। खोपड़ी खोलने पर उन्होंने दाहिनी ललाट और पश्चकपाल हड्डी में धंसी हुई अस्थिभंग पाई। उन्होंने अभिमत दिया कि मृतक की मृत्यु खोपड़ी पर लगी घातक चोट के कारण कोमा में जाने से हुई और मृत्यु मानव वध प्रकृति का था।

आगे की जांच में घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया (प्रदर्श पी-03) घटनास्थल से रक्त से सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, दस्ताने और सब्बल (प्रदर्श पी-07) जब्त किए गए। अपीलार्थी की पैंट और कमीज (प्रदर्श पी-10) उससे जब्त की गई । मृतक की चप्पलों(स्लीपर) का एक जोड़ा अपीलार्थी की चप्पलों(स्लीपर) का एक जोड़ा और एक किताब (प्रदर्श पी-19) मृतक के खेत से जब्त की गई । जब्त की गई सब्बल (प्रदर्श पी-15ए) को जांच के लिए शासकीय अस्पताल, बालोद भेजा गया।डॉ.आर. के.गोरे (अभि.सा.-11) ने सब्बल की जांच की और रिपोर्ट (प्रदर्श पी-15) दी।जब्त की गई वस्तुओं को जांच के लिए रायपुर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (प्रदर्श पी-16) भेजा गया। वहाँ से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) प्राप्त हुई जो (प्रदर्श पी-20) के माध्यम से प्राप्त हुआ । एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) में उल्लेख किया गया है,कि वस्तुएँ ए-मिट्टी, बी-मिट्टी, सी-सब्बल, डी- मृतक के दस्ताने और ई1- बनियान (वेस्ट) रक्त से सनी हुई पाई गई, जबकि मृतक की वस्तुएँ ई2- फुल पैंट, ई3- मृतक की अंडरवियर, अपीलार्थी की फुल पैंट एफ-1 और एफ-2- अपीलार्थी की कमीज़ रक्त से सनी हुई नहीं पायी गयी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम – श्रेणी, बालोद की न्यायालय में अभियोग-पत्र दाखिल किया गया , जिसने प्रकरण को सत्र न्यायालय- दुर्ग को उपार्पित किया, जहाँ से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला- दुर्ग को अंतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने अभियोजन का विचारण किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडादेश दिया ।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. पटेल ने तर्क प्रस्तुत किया कि वरुण कुमार (अभि.सा.-03) लगभग 11-12 वर्ष का एक बाल साक्षी हैं। वह मृतक का पुत्र है। उसका व्यवहार अस्वाभाविक प्रतीत होता है। वह हितबद्ध तथा सिखाया पढ़ाया गया

साक्षी है। इसलिए केवल उसकी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता।

4. राज्य/उत्तरवादी के लिए विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार मेहता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दंड और दोषसिद्धि में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की तथ्यों का विस्तार से श्रवण किया और सत्र परीक्षण क्रमांक 163/2005 के अभिलेख का परिशीलन किया है। भा.द.सं.की धारा 302 के अन्तर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि वरुण कुमार (अभि. सा. – 03) के साक्ष्य पर आधारित है। यह निर्विवादित है कि वरुण कुमार (अभि. सा.-03), मृतक का पुत्र होने के नाते मृतक का निकटतम संबंधी हैं। यह भी निर्विवादित है कि घटना के समय उसकी आयु लगभग 11-12 वर्ष थी और इस प्रकार वह एक बाल साक्षी हैं। अभियोजन पक्ष का प्रकरण बाल साक्षी वरुण कुमार (अभि.सा.-03) कि साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. बाल साक्षी एक सक्षम साक्षी होता है। बाल साक्षी की बुनियादी निष्कपटता और सत्यनिष्ठा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यद्यपि, बाल साक्षी के मामले में सिखाये जाने की संभावना सदैव बनी रहती है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए, बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेषकर तब, जब बाल साक्षी घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी हो।

7. *निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 12 एससीसी 565*, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "10. "6. ... साक्ष्य अधिनियम,1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") किसी साक्ष्य को सक्षम करने के लिए किसी विशेष आयु को निर्णायक कारक के रूप में निर्धारित नहीं करता है। इसके विपरीत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में यह प्रावधान है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय यह न समझें कि वे कम उम्र, अत्यधिक वृद्धावस्था, मानसिक रोग या इसी प्रकार की किसी अन्य कारण से पूछे गए प्रश्नों को समझने या उसके तर्क संगत उत्तर देने में असमर्थ हैं। कम उम्र के बच्चे को भी साक्ष्य देने की अनुमति दी

जा सकती है, यदि उसमें प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता हो। इस स्थिति को ब्रेवर,न्यायाधीश ने *विलर बनाम यूनाइटेड स्टेटस*,40 एल ईडी 244 में संक्षेप में बताया था । किसी बाल साक्षी को स्वतः ही खारिज करना आवश्यक नहीं है अपितु ,न्यायालय विवेकपूर्ण नियम के अनुसार ऐसे साक्षियों की गहन जांच करता है और उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर ही उनके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज कर सकता है"। (देखे ***सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 9 एससी सी 129 ।***

7 *दत्तू रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य,(1997) 5 एससीसी 341* ,में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था: (एससीसी पृष्ठ- 343, कंडिका- 05)

" 5. ... यदि कोई बाल साक्षी तत्वों की साक्ष्य देने में सक्षम और विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसी साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत बाल साक्षी की साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते की वह साक्षी प्रश्नों को समझने और उसके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल साक्षी की साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साक्ष्य विश्वसनीय हो और उसका/उसकी व्यवहार किसी अन्य सक्षम साक्षी की तरह हो और उसे सिखाया पढ़ाया न गया हो ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाल साक्षी की बुद्धि पर्याप्त है या नहीं,इस प्रश्न पर निर्णय मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो उसके व्यवहार, उसकी स्पष्ट बौद्धिक स्थिति या अ़ल्प बुद्धिमता को ध्यान में रखते हैं और उक्त न्यायाधीश किसी भी ऐसी जांच का सहारा ले सकते हैं जिससे उसकी क्षमता और बुद्धि के साथ-साथ शपथ के दायित्व की उसकी समझ का पता चल सके। यद्यपि, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बदला जा सकता है यदि जो कुछ भी सामने आया है उससे यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखों में दर्ज साक्षियों से स्पष्ट है कि उनका निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था। यह सावधानी आवश्यक है क्योंकि बाल साक्षी को सिखाया पढ़ाया जा सकता है और वे अधिकांशतः काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। यद्यपि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी खतरनाक साक्षी होते हैं क्योंकि वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें ढाला जा सकता है, लेकिन यह भी एक स्वीकृति नियम है कि यदि उनके साक्ष्य की

सावधानीपूर्वक जांच के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसमें सत्यता की झलक है तो बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।"

उपरोक्त स्थित को ***रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य,(2004) 1 एससीसी 64, एसीसी पृष्ठ 67-68, कंडिका 6-7*** में उजागर किया गया था। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई विसंगति नहीं है जिसके कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

8. वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) ने कथन किया कि घटना वाले दिन लगभग 08:30-9 बजे वह अपने पिता (मृतक) और अपने छोटे भाई उमाशंकर कृषि कार्य के लिए अपने खेत में गए थे। जब वे खेत में काम कर रहे थे, तभी अपीलार्थी मृतक के पास आया और उसे बताया कि उसे सिर दर्द हो रहा है। मृतक ने अपीलार्थी से कहा कि वह भगवान बजरंग बली के माला गले में डाले और उनके सामने नारियल फोड़े। तत-पश्चात, अपीलार्थी ने सब्बल उठाया और मृतक के शरीर पर उसे घोंपना शुरू कर दिया। अपीलार्थी ने मृतक की कमर पर सब्बल घोंपा। इसके पश्चात, खेत में मृतक और अपीलार्थी के बीच हाथापाई हुई। तत-पश्चात, मृतक भागते समय गिर गया। अपीलार्थी सब्बल से मृतक के सिर पर वार किया। अपीलार्थी अपनी साइकिल लेकर सड़क की ओर भाग गया। वे शेखर के घर गये। इसके पश्चात, दौड़ते हुए वह अपनी माँ मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) के पास गया और उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी है। मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) दौड़ते हुए मृतक के शव के पास गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) ने कथनं किया कि जब मृतक अपीलार्थी से सब्बल छीन रहा था, उस समय मृतक ने उसे और उसके छोटे भाई को वहाँ से भागकर घर जाने के लिए कहा था। यह कहना गलत है कि वे छीनने की घटना की सूचना अपनी माँ मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) को देने गए थे। उसने आगे कहा कि जब अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी, तो वे मृतक की हत्या की सूचना अपनी माँ मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) को देने गए थे। उसने आगे कथन किया कि यह सही है कि जब अपीलार्थी मृतक के पास आया था, उस समय उसके पास सब्बल या कोई हथियार नहीं था। यह भी सही है कि जब अपीलार्थी आया, तो उसने सबसे पहले मृतक को अपनी बीमारी के बारे में बताया और उससे बात की थी । उस समय अपीलार्थी और मृतक के बीच कोई विवाद नहीं हुआ था।

10. मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) ने कथन किया कि घटना वाले दिनांक को सुबह लगभग 08-8:30 बजे वह अपने घर में काम कर रही थी। उसके दोनों बेटे वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) और अरुण अपने पिता (मृतक) के साथ खेत में गए हुए थे। कुछ देर पश्चात, दोनों बच्चे घर लौट आए और उसे बताए कि अपीलार्थी ने खेत में मृतक की हत्या कर दी है। वह रोते हुए और ग्रामीणों को पुकारते हुए खेत में गई। अपने पति मृतक का शव देखकर वह बेहोश हो गई।

11. दीनाराम (अभि.सा.-02) ने बयान दिया कि घटना वाले दिन, सुबह वह नहर में नहाने गया था। मृतक की पत्नी मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) उसके पास आयी और बताया कि अपीलार्थी मृतक पर हमला कर रहा है। वह मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) के साथ खेत की ओर गया। उसने देखा कि मृतक का शव सड़क के किनारे पड़ा था और उसके सिर से रक्त प्रवाह हो रहा था। वहाँ एक सब्बल और एक दस्ताना भी पड़ा था। इसके पश्चात, वह मृतक के खेत में गया और देखा कि मृतक और अपीलार्थी की चप्पलें खेत की मिट्टी में फंसी हुई थी, और एक कॉपी भी वहाँ पड़ी थी। प्रतिपरीक्षण में उसने साक्ष्य दी की सब्बल शव के पास पड़ी थी। उसने आगे कथन किया कि सब्बल शव से 08 फिट दूर पड़ी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अर्जुन सिंह (अभि.सा.- 05) ने कथन किया कि घटना वाले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) ने उन्हें घटना के बारे में बताया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कर दी है।उन्होंने आगे कथन किया कि वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी मृतक के पास आया और उससे कहा कि उसकी तबियत ठीक नहीं है। मृतक ने अपीलार्थी को सुझाव दिया कि वह देवी दंतेश्वरी को नारियल चढ़ाएं और भगवान बजरंग बली का लाकेट अपने गले में पहने। इसके पश्चात, अपीलार्थी और मृतक के बीच हाथापाई हुई। अपीलार्थी ने मृतक पर सब्बल से प्रहार किया। उन्होंने आगे कथन किया कि इससे पश्चात वह घटनास्थल पर गए, जहाँ उन्होंने देखा कि मृतक और अपीलार्थी की चप्पलें (स्लीपर) और सब्बल भी वही पड़ी थी।

13. वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर सब्बल से प्रहार किया और उसने तत्काल घटना की जानकारी अपनी माँ मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) और अर्जुन सिंह (अभि.सा.- 05) को दी। उनकी बयान की पुष्टि दीनाराम (अभि.सा.- 02) ने भी की है। मृतक के शव का शव परीक्षण करने वाले डॉ.आर.के. गोरे (अभि. सा.-11) ने पाया कि (I) दाहिने कान से 1 इंच ऊपर दाहिने

फ्रंटो टेंपोरल क्षेत्र में आगे पीछे की ओर 4"×1"का कटा – फटा हुआ घाव था,(ii) दाहिने पश्चकपाल क्षेत्र के पीछे हिमोतोमा के 1"×1" इंच का कटा – फटा हुआ घाव था ,जो चोट संख्या (I) से एक इंच ऊपर स्थित था। खोपड़ी खोलने पर उन्होंने दाहिनी ललाट और पश्चकपाल हड्डी में धंसी हुई अस्थिभंग पाया। उन्होंने अभिमत दी की मृतक की मृत्यु खोपड़ी पर लगी घातक चोट के कारण कोमा में जाने से हुई और यह हत्या का मामला था।

14. घटना की तिथि और समय दिनांक 27.02.2005 को सुबह लगभग 8:30-9:00 बजे था और एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-01) उसी दिन सुबह लगभग 10.45 बजे,अर्थात घटना के लगभग 2 ½ घंटे के भीतर दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-01) में अपीलार्थी का नाम हमलावर के रूप में दर्ज है। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) का बयान धारा 161 दं.प्र.सं. के अनुसार दिनांक 27.02.2005 को अर्थात घटना वाले दिन ही दर्ज किया गया था। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) ने घटना के तत्काल पश्चात अपनी माँ मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) और अर्जुन सिंह (अभि.सा.-05) को घटना के बारे में बताया। मेतिनबाई (अभि.सा.- 06) ने घटना के बारे में दीनाराम (अभि.सा.- 02) बताया। इसलिए, बाल साक्षी वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) को सिखाने पढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) के साक्ष्य की चिकित्सकीय साक्ष्यों द्वारा पूर्णतया पुष्टि की गई है। इसलिए, उनकी एकमात्र साक्ष्य को अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए आधार बनाया जा सकता है। वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) से साक्ष्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने हीं मृतक पर सब्बल से प्रहार किया था और मृतक की मृत्यु उसी प्रहार में लगी चोटों के कारण हुई थी।इसलिए, मृतक को चोट पहुंचाने में अपीलार्थी कि संलिप्तता के सम्बन्ध में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हमें कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब. हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 304 के प्रावधनों के आलोक में इस प्रकरण की जांच करेंगे।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. पटेल ने तर्क दिया कि अपीलार्थी मृतक के खेत में बिना किसी हथियार के गया था। अपीलार्थी ने मृतक को अपने खराब सेहत के बारे में बताया। इसके पश्चात, अचानक दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई और अपीलार्थी ने मृतक को सब्बल का प्रहार कर दिया। इसलिए, अपीलार्थी का यह कृत्य

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है के अपराध में दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में दंड के बीच अंतर करती है, जहाँ हत्या का आशय मौजूद होने पर, यदि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता हो, तो वह कृत्य हत्या की श्रेणी में आता और उन मामलों में जहाँ अपराध हत्या न करने के अपराध में दंडनीय है, अर्थात जहाँ यह ज्ञान की मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का आशय, या मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का पहला भाग वहाँ लागू होता है जहाँ पहले भाग में आशय होना आवश्यक है, जबकि, दूसरा भाग तब लागू होता है जब ज्ञान हो, परन्तु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के किसी भी भाग के अंतर्गत आरोपी को दोषी ठहराने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पांच अपवादों में उल्लेखित परिस्थितियों में से किसी एक के अंतर्गत उसके द्वारा मृत्यु हुई हो। इन अपवादों में गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित रहते हुए, सद्भावनापूर्वक व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए और बिना पूर्व चिंता के आवेश में अचानक हुई लड़ाई में हुई मृत्यु शामिल हैं। किसी कार्य को करने के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों का ज्ञान, आशय से बिल्कुल भिन्न हैं, जो यह दर्शाता है कि एक विशेष परिणाम अवश्य होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग को लागू करने के लिए आशय का तत्व आवश्यक है, जबकि दूसरे भाग को लागू करने के लिए ज्ञान का तत्व आवश्यक है। आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य है, जबकि ज्ञान वह जागरूकता है जो इस तथ्य की जानकारी होने के प्रमाण है कि किसी कार्य को करने से एक विशेष परिणाम हो सकता है।

18. ***जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एससीसी 342***, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> "8 अगला प्रश्न यह है कि अपीलार्थी ने कौन सा अपराध किया है? एक मामूली झगड़े में अपीलार्थी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। यह घटना दोपहर लगभग 1:45 बजे घटी। विवाद मामूली प्रकृति का था और ऐसे मामूली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवाद में भी अपीलार्थी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया और सीने पर वार किया। इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि अपीलार्थी को कम से कम इस बात का ज्ञान था कि वह ऐसी चोट पहुंचा सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत अपराध किया है और पांच साल की कारावास की सजा न्यायसंगत होगी।

19. ***सतीश नारायण सावंत बनाम गोवा राज्य, (2009) 17 एससीसी 724***, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

"40. यह सुस्थापित विधिक स्थिति होने के कारण, जब हम इस प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का परिक्षण इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, तो हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचारों से सहमत नहीं हो पाते हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना से पहले कहा- सुनी हुई थी। घटनास्थल दोनों पक्षों का निवास स्थान है और अभिलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मृतक किसी हथियार से युक्त था । प्रारंभ में अपीलार्थी आरोपी के पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन घटना के दौरान वह अंदर गया और एक चाकू ले आया जिसकी मदद से उसने मृतक पर वार किया। अ.सा.7 ने प्रति-परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि चाकू के घाव से हुई मृत्यु एक चोट के परिणामस्वरूप हुई थी और अन्य चोटें सतही प्रकृति की थी। इसलिए, केवल एक चोट ही घातक प्रकृति की थी। चाकू के वार से केवल एक ही मुख्य चोट लगी थी और वह भी मृतक की पीठ पर लगी थी। यह नहीं कहा जा सकता कि क्या किसी का आशय जान से मारने या किसी विशेष स्तर की गंभीर चोट पहुंचाने का था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस *न्यायालय की एक युगलपीठ के दांडिक अपील क्रमांक 625/2006 (अर्जुन यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य), में दिनांक 18.11.2011* को दिए गए निर्णय में निम्नलिखित अवलोकित किया :

"16. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी मृतक के पुत्र कैलाश अभि.सा./10 से मदिरा मांग रहा था और उनके बीच कहा सुनी हुई, इसके पश्चात, अपीलार्थी ने मृतक को गाली दी। पूछे जाने पर उसने मृतक से झगड़ा किया और अभि.सा./01 रमेश श्रीवास कि नाई की दुकान पर भागा जहाँ

से उसने कैंची निकालकर मृतक के पेट पर एक ही प्रहार किया। इन तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं था वह मदिरा पीने के बाद विवाद कर रहा था और विवाद के दौरान वह अचानक रमेश श्रीवास् अभि.सा./01 की नाई की दुकान की ओर भागा और कैंची लेकर उसने एक ही प्रहार किया अन्यथा चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। साबित करने के लिए यह साक्ष्य पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक को जानबूझकर चोट पहुंचाई या मृतक के हत्या करने आशय से हत्या किया अपितु, चोट पहुंचाते समय उसे यह जानकारी थी कि उसके कृत्य से मृतक की मृत्यु हो सकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है, लेकिन अपीलार्थी के आरोपित कृत्य स्पष्ट रूप से भा.दं.सं. की धारा 304 भाग - I के दायरे में आता है।"

21. डॉ.आर.के.गोरे (अभि.सा.-11) ने कंडिका 20 में प्रतिपरीक्षण में बयान दिया कि उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-14) में यह उल्लेख नहीं किया कि मृतक को लगी चोटें सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान प्रकरण में, वरुण कुमार (अभि.सा.- 03) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी मृतक के खेत में बिना किसी हथियार के गया था। अपीलार्थी ने मृतक से कहा कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था। मृतक ने अपीलार्थी को महावीर के सामने सिर झुकाने और स्वस्थ होने पर बिन्देश्वरी देवी के मंदिर में नारियल तोड़ने का सुझाव दिया। इस पर, अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाद शुरू हो गई और हाथापाई हुई , अचानक अपीलार्थी ने मृतक से सब्बल छीन लिया और उसी से उस पर प्रहार कर दिया। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, मृतक के सिर पर केवल एक ही चोट पाई गई, जो कि अस्थिभंग थी। अन्य चोंटे गंभीर नहीं थी।

23. इस प्रकार, हमारे लिए यह मानना कठिन है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने के आशय से प्रहार किया था, यद्यपि, अपीलार्थी के उपरोक्त कृत्य से यह ज्ञात होता है,अन्यथा मृत्यु अपरिहार्य परिणाम होती। ऐसी स्थिति में, अभियोजन पक्ष के मामले, को स्वीकार करते हुए भी हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी ने भा.दं.सं. की धारा

302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध नहीं किया है अपितु उसका कृत्य भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत दंडनीय है।

24. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भा.दं.सं.की धारा 302 के अन्तर्गत अपीलार्थी को दी गयी दोषसिद्धि और दंड अपास्त की जाती है। इसके स्थान पर, अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

सही/-	सही/-
सुनील कुमार सिन्हा	आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: छबि लाल (अधिवक्ता)